

# अनुसूची - I

## प्रपत्र ए

### सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरीपणा मंडळ (कॉर्पोरेट व्यक्तीकरिता दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया) विनियमन, २०१६ च्या विनियमन ६ अन्वये)

## सुपरटेक ओआरबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड धनकोंचे लक्ष वेधण्याकरिता

### संबंधित तपशील

१.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	सुपरटेक ओआरबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
२.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	18 अक्टूबर 2016
३.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है	आरओसी-कानपुर
४.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित देयता पहचान संख्या	U70109UP2016PTC087138
५.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का (यदि कोई हो) पता	पंजीकृत कार्यालय: सी-45, सेक्टर 62, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201307
६.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	13 अक्टूबर 2023 (आदेश 17 अक्टूबर 2023 को प्राप्त हुआ)
७.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	10 अप्रैल 2024
८.	अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी का नाम पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी के रूप में कार्यरत है	शैलेन्द्र अजमेरा IBBI/IPA-001/IP-P00304/2017-2018/10568
९.	बोर्ड में यथा पंजीकृत, अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी का पता एवं ईमेल:	अनर्स्ट एंड यंग एलएलपी, तीसरी मंजिल, वर्ल्डमार्क 1, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110037 Shailendra.Ajmera@in.ey.com
१०.	अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	अनर्स्ट एंड यंग एलएलपी, तीसरी मंजिल, वर्ल्डमार्क 1, एयरोसिटी हॉस्पिटैलिटी, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110037 सामान्य प्रश्नों के लिए: cirp.supertechorb@gmail.com दावों संबंधी प्रश्नों के लिए: claims.supertechorb@gmail.com अन्य सभी लेनदारों से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत करें। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर पहुंचें - <a href="https://www.supertechorbcorp.in/claims">https://www.supertechorbcorp.in/claims</a>
११.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	31 अक्टूबर, 2023 (एनसीएलटी आदेश की प्रति प्राप्त होने से 14 दिन यानी 17 अक्टूबर, 2023)
१२.	अंतरिम प्रस्ताव व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित किया गया, लागू नहीं धारा 21 की उप-धारा (6ए) के प्रबंध (बी) के अंतर्गत, क्रेडिटर का वर्ग, यदि कोई हो	हां, आवासीय रियल एस्टेट परियोजना के तहत आवंटन
१३.	किसी वर्ग में क्रेडिटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप लागू नहीं में कार्य करने के लिये पहचान किये गये दिवालियापनव्यवसायीयों का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1) अंजु अग्रवाल आईपी रजि. क्रमांक: IBBI /IPA-001/IP-P00106/2017-2018/10213 2) श्रीमान केशव मित्तल आईपी रजि. क्रमांक: IBBI /IPA-001/IP-P02221/2020-2021/13354 3) श्रीमान. कुँवर सिंह आईपी रजि. क्रमांक: IBBI /IPA-002/IP-N01150/2021-2022/13788
१४.	(अ) संबंधित प्रपत्र तथा(ब) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है:	वेबलिंक: <a href="https://ibbi.gov.in/en/home/downloads">https://ibbi.gov.in/en/home/downloads</a> भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कर्नाट सर्कस, नई दिल्ली -110001

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने **13 अक्टूबर, 2023** को **सुपरटेक ओआरबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड** की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

**सुपरटेक ओआरबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड** के लेनदारों को इसके द्वारा प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को **31 अक्टूबर, 2023** को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

फायनान्शियल क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।

**दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।**

नाम : शैलेन्द्र अजमेरा

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2023